NPS

Rakesh Bahu O.S.

166

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--7
संख्या: 52-/xxvii(7)56/2012
देहरादून, दिनांक: 22 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-- दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या -- 21/XXVII(7) अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय-समय पर अधिसूचना संख्या-21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या -132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 - 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0- 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या-643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या-272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों से वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 - 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0- 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या-643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियों की भाति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाएं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2- ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें, जो योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों हेतु उत्तरदायी होगा।

3- योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि कमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेंगी।

4- ऐसी संस्थाओ को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर कियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5— उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर कियेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाओं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6— समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या– 21/XXVII (7) अपेंयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हों (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7— शासनादेश सं0– 174 /XXVII (7)फ0मैने0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिंग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8— योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म कमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9— सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रष्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध हैं। केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आंकड़ों व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा कमशः सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाऐं अपनाए गये प्रारूप से मास्टर कियेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत करायेंगी।

10— योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रांनिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 का डाटा अपलोड व ट्रष्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जायं, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11— उपरोक्त पंजीकरण प्रकिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर, से किया जायेगा।

12— उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेवसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13— एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सब्सकाइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रष्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14— पंजीकरण प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15— उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16— शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के जमा अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का अंशदान वेतन आहरित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा अंशदान सीधे सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक में जमा किया जायेगा।

उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में जारी अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या 52 (1)/XXVII (7)56/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः–२६६/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : ३०, दिसम्बर, 2016

विषयः– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी समझे जाएगें।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08.08.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत आच्छादित शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3– (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर भी लागू होगीं, जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हों।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/डैथ एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4– (1) <u>परिलब्धियॉ–</u> पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/डैथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) <u>वेतन–</u> वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–3 के अनुसार मूल वेतन से तात्पर्य संशोधित ढॉचे में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर (Level) में आहरित वेतन से है। जिसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन आदि सम्मिलित न होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ–कम–ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5– <u>पेंशन–</u> पेंशन का आगणन पूर्व की भॉति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा। पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू. 9000/– होगी। पेंशन की अधिकतम सीमा रू. 112500/– (राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन रू. 225000/– के 50% के बराबर) होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7– <u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

या 10 माह की औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(4) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

8– <u>सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी–</u>

(अ) मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगी:–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ब) सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/डैथ ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

9– <u>पारिवारिक पेंशन–</u>

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रू0 2,25,000/– के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सीमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रकियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत् अनुमन्य होगी:–

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा पूर्ववत समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

10– <u>पेंशन के एक भाग का राशिकरण–</u> पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या–384 /XXIV(4)/2019-01(05)/2018TC

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 08 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2019

विषय– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों हेतु मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–डिग्री सेवा/2018–19/10351, दिनांक 06 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त् उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों (कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल; उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी; दून विश्वविद्यालय, देहरादून; श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा) एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि से निम्न तालिकानुसार मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	क्षेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र)	क्षेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर, के शहरी क्षेत्र।	"अवर्गीकृत क्षेणी" कालम–3 व4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
1	57700–182400 (एकेडेमिक लेवल–10)	6950	5800	4650
2	68900–205600 (एकेडेमिक लेवल–11)	8300	6900	5550
3	79800–211500 (एकेडेमिक लेवल–12)	9600	8000	6450
4	131400–217100 (एकेडेमिक लेवल–13A)	12000	8000	7000
5	144200–218200 (एकेडेमिक लेवल–14)	12000	8000	7000

C:\S BISHT\Documents\D.S.Rawat\D.S.Rawat\Letter General...

प्रेषक,

निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक डिग्री अर्थ / 7073 / 2008–09 दिनांक 15 नवम्बर, 2008

विषयः अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 44 / XXIV(7) / 2008 दिनाक 06 नवम्बर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्त नियमित रूप से कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी (जिसमें प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी सम्मिलित हैं), जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 के अन्तर्गत स्थापित वेतन संदाय लेखे से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पर संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना को लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

शासनादेशानुसार प्राचार्यो एवं शिक्षकों के लिए प्रीमियम अर्द्धवार्षिक आधार पर रू0 2100/–, सभी तृतीय श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए यह राशि रू0 1050/–एवं सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू0 600/–अर्द्धवार्षिक की दर से निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियमों की धनराशि का भुगतान महाविद्यालयों द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन प्रकाश), 16/90, महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर को शासनादेश में उपलब्ध कराये गये प्रारूप में विवरण अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वे महाविद्यालय में शासन/निदेशालय द्वारा स्वीकृत पद के प्रति नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से नियमित कटौती की राशि निर्धारित प्रारूप में चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से निगम के पक्ष में शासनादेशानुसार निर्गत करना सुनिश्चित करें।

नियमित कटौती एवं कटौती की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा शाखा, कानपुर को समय से भुगतान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य उत्तरदायी होगें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

प्रो0(एम0सी0पाण्डे),
प्राचार्य,एम0बी0हल्द्वानी,
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

राकेश कुमार
पत्रानुसार कार्यवाही करें।
26.11.08.

पृ0सं0 डिग्री अर्थ / / 2008–09 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा/उधमसिंहनगर/हरिद्वार।

प्रो0(एम0सी0पाण्डे),
प्राचार्य,एम0बी0हल्द्वानी,
कृते निदेशक,उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी(नैनीताल)।

संख्या–44 / xxiv (7) / 2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी–नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 6 फरवरी 2008

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतगय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1339 / 15–11–91–14(5) / 73 दिनांक 23 मार्च 1991 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संमस्त नियमित रुप से कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (जिसमें प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीभी सम्मिलित हैं) जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 के अर्न्तगत स्थापित वेतन संदाय लेखे से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, पर संशोधित बचतमय सामूहिक बीमा योजना को निम्नवत् लागू किये जाने के आदेश दिये है।:–

(1) उक्त नई योजना के अर्न्तगत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं शिक्षकों के लिये रु0 2100 / –की धनराशि का प्रीमियम अर्धवार्षिक आधार पर लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित / आश्रितों को रु0 3.50 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(2) सभी तृतीय श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से रु0 1050 / –की धनराशि का अर्धवार्षिक प्रीमियम लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित / आश्रितों को रु0 1.75 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(3) सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से रु0 600 / –की धनराशि का अर्धवार्षिक प्रीमियम लिया जायेगा तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रित / आश्रितों को रु0 1.00 लाख की बीमा राशि प्राप्त होगी।

(4) शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौतियों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निम्न सारणी के अनुसार समायोजित किया जायेगाः–

क्र0	जीएसएलआई योजना के अर्न्तगत देय बीमा की राशि रुपये में	जीएस0एल0आई योजना में अर्धवार्षिक प्रीमियम की राशि रुपयों में	जीएसएलआई अर्धवार्षिक वचत प्रीमियम की राशि रुपयों में	सामुहिक वीमा योजना में वीमा की राशि हजार रुपयों में	सामुहिक वीमा योजना में वचतमय धनराशि रुपयों में	कुल वीमा की धनराशि लाख रु0 में	कुल अर्धवार्षिक प्रीमियम जो कि वेतन से कटौती जायेगी रुपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.00 लाख	900	1050	50.00	150	3.50 लाख	2100
	1.25 लाख	375	525	50.00	150	1.75 लाख	1050
	0.50 लाख	150	300	50.00	150	1.00 लाख	600

(5) बचत निधि मे जमा धनराशि पर 9.5 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि व्याज जोडा जायेगा। यह राशि मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति को वीमा धन के साथ भुगतान की जायेगी।

(6) उक्त संस्तुत योजना दिनांक 1–06–2008 से लागू होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमानुसार प्रीमियम की राशि अग्रिम की जाती है। इसलिये संस्तुत प्रीमियम की कटौती सम्वन्धित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मई 2008 के वेतन से दी जायेगी ।

(7) इस योजना के अर्न्तगत देय प्रीमियम की धनराशि का भुगतान महाविद्यालयों द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन प्रकाश)16/90, महात्मा गॉधी मार्ग कानपुर को प्रत्येक महाविद्यालय निम्न प्रारुप में विवरण अंकित करते हुये उपलब्ध करायेंगेः–

प्रारुप

क0	नाम	पदनाम	श्रेणी	जन्मतिथि	सेवा में सम्मिलित होने की तिथि	योजना में सम्मिलित होने की तिथि	प्रीमियम के लिये कटौती की धनराशि

(8) 01–06–2008 एवं उसके बाद होने वाली सभी मृत्यु एवं सेवानिवृत दावे सम्वन्धित महाविद्यालय से सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन एवं सामुहिक बीमा योजना शाखा (जीवन प्रकाश) 16/90 महात्मा गॉधी मार्ग कानपुर को एक माह के भीतर प्रेषित करेंगे।

(9)समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रवन्धकों को निदेशित कर दिया जाय कि वे महाविद्यालय में शासन/ निदेशालय द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से माह मई 2008 के वेतन से नियमित कटौती प्रारम्भ करके कटौती की राशि उपर्युक्त विन्दु संख्या–7 पर दिये गये प्रारुप के अनुसार चेक/ड्राफ्ट द्वारा निगम के पक्ष में निर्गत करें।

(10) आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त संशोधित बचत एवं सामुहिक बीमा योजना के सम्वन्ध में सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रवन्धकों को शासन के उक्त निर्णय से अवगत कराते हुये योजना के सकिय कियान्वयन हेतु तत्परता से

अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त सम्वन्धितम प्राचार्यों एवं प्रवन्धकों को नियमित कटौती एवं कटौती की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा शाखा, कानपुर को समय पर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनायें।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 152(NP)/XXVII (3)/2008 दिनांक मई 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंजली प्रसाद)
सचिव

सं0 (1)/ xxiv (7)/2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3— समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तराखण्ड।।
5— लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6— क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक,उच्च शिक्षा,शिविर कार्यालय, देहरादून
7— उच्च शिक्षा अनुभाग—6, उत्तराखण्ड शासन।
8— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—3।
9— शाखा प्रवन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह विकास शाखा, जीवन विकास 16/90 महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर ।
10— समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य(निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से)
11— कोषाधिकारी हल्द्वानी—नैनीताल।
12— गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(इन्दुधर बौडाई)
अपर सचिव

देहरादून:दिनांक 24 अगस्त,2009

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिनांक 4 जून 1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–4–394 / दस–99 216 / 79 दिनांक 4 जून 1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3 उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों(यू0 जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 मानमान से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4 उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

5 उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6 सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

250/XXVII(7)/2009

संख्याः 2 (1) / XXVII(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3 सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7 समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9 निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
[signature]
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

9:31
16/8/12

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–7
संख्या– 418 / XXIV(7) 45(4) / 2011
देहरादून : दिनांक 8 मई, 2012
कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्रस्तर 8.4.9 में महिला शिक्षकों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है "Women teachers having minor children may be granted leave up to two years for taking care of their minor children. Child care leave for a maximum period of two years (730 days) may be granted to the women teachers during entire service period in lines with Central Government women employees. In the cases, where the child care leave is granted more than 45 days, the University/College/Institution may appoint a part time/guest substitute teacher with intimation to the UGC.

2– अतः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित महिला शिक्षकों को यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो (02) वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता राज्य सरकार की सरकारी महिला सेवक हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11 / XXVII(7)34 / 2011 दिनांक 30 मई 2011 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– यदि किसी महिला शिक्षक को 45 दिन से अधिक का अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर मात्र शिक्षण कार्य के लिए यू0जी0सी0 दिशा–निर्देशानुसार अंशकालिक व्यवस्था की जायेगी, जिससे मात्र शिक्षण कार्य ही कराया जायेगा। परीक्षा एवं अन्य शिक्षणेत्तर कियाकलापों के सम्बन्ध में उसे योजित नहीं किया जायेगा।

4– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 द्वारा अवकाश के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था उक्त सीमा तक प्रभावी होगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–19 दिनांक 29.05.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः–2

हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा; होने के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 16.11 द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

16.11- कार्य परिषद दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा : धारा 49 (घ)

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग 2

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी संबंधी नियम

16.12- छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :- धारा 49 (घ)

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) बीमारी की छुट्टी;

(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;

(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;

(छ) प्रसूति छुट्टी।

16.13- आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के धारा 49 (घ)

दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन का
से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

धारा 49(घ) 16.14- एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी
वह 60 कार्य-दिवस तक संचित की जा सकती है।

धारा 49(घ) 16.15- बीमारी की छुट्टी, वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई
किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक
में एक मास के लिये दी जायेगी और संचित नहीं होगी।

धारा 49 (घ) 16.16- विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अ
पदेन सदस्य हों, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो,
अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लि
कार्यदिवस तक की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छ्टुटी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

धारा 49 (घ) 16.17- किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी
जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आ
कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिए दी जा सकती है :

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के
दी जा सकती है :

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य-परिषद के विवेकानुसार छ
से अनाधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

*[1]परन्तु यह भी ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
"अध्यापक अधिछात्रवृत्ति" के लिए या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के
विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के
पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

धारा 49 (घ) *[2]16.18- असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। "यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें
परिषद उचित समझे, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दी जा सकती है,
परिनियम 16.10 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों में द
से अनाधिक अवधि के लिये बढ़ायी जा सकती है।"

*[3]स्पष्टीकरण (1) - कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी

*[1] हे. न. ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) परिनियमावली ... गया।
*[2] ...

पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा,

स्पष्टीकरण (2) - राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेंशियल हैण्डबुक, भाग 2 से 4 के फण्डामेंटल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय-मान में ऐसे प्रत्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोकहित में रहा हो।

16.19- अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है : **धारा 49 (घ)**

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में जो तीन बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

16.20- छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है। **धारा 49 (घ)**

16.21- किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक को जो उनके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिये सक्षम होगा। **धारा 49 (घ)**

16.22- दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा। **धारा 49(घ)**

भाग 3

अधिवर्षिता की आयु

16.23- इस भाग में, पद "नये वेतनमान" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेश संख्या शिक्षा 11-9045/15-14 (7)-73, दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के अनुसार किसी अध्यापक **धारा**